

**बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना (शुद्धि-पत्र)**

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/नियो०स्था०-11/2025...../विभागीय अधिसूचना सं० 38 दिनांक 30.06.2025 द्वारा निर्गत बिहार नियोजन सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन संबंधी आदेश को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :-

अधिसूचना सं० 36 दि० 30.06.25 का क्रमांक	नाम/ गृह जिला	पदनाम/वर्तमान पदस्थापन/अतिरिक्त प्रभार	नव पदस्थापन कार्यालय का नाम	अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4	5
6	श्री अमित कुमार, पटना	सहायक निदेशक (नियोजन) अवर प्रादेशिक नियोजनालय, छपरा।	सहायक निदेशक (नियोजन) अवर प्रादेशिक नियोजनालय सहरसा	-
7	श्री आदित्य प्रकाश, नालंदा	नियोजन पदाधिकारी, अवर प्रादेशिक नियोजनालय, पटना।	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, पूर्णियाँ	1. जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, अररिया 2. जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, बाँका
16	श्री मुकुंद माधव, मुजफ्फरपुर	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, मोतिहारी। अतिरिक्त प्रभार:- 1. जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, बेतिया। 2. जिला नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजनालय, शिवहर।	जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला नियोजनालय, सीतामढ़ी।	जिला नियोजन पदाधिकारी जिला नियोजनालय, शिवहर।

2. अधिसूचना सं० 38 दिनांक 30.06.2025 इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। शेष कंडिका यथावत रहेंगी।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/नियो०स्था०-11/2025 श्र०सं०...../

पटना-01 दिनांक- 30/6/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी०डी० सहित) बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषगार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय गंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/ सचिव के सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, दशरथ माँझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/बिहार नियोजन सेवा के सभी पदाधिकारियों/अधिसूचना में नामित सभी पदाधिकारी/श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना (मुख्यालय) के सभी पदाधिकारियों/आई०टी० प्रबंधक (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।